फद अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
जवानसिंह
बनाम
सांगसिंह इत्यादि

न. 83 सन् 2025

किस्म मुकदमा 223 आर.टी.एक्ट

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 06.02.2025 | पत्रावली बाद जांच होकर पेश हुई। अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 24/2024 बअनवान सांगसिंह व अन्य बनाम कालुसिंह इत्यादि में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2024 के विरुद्ध पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्रसिंह एवं रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से केवियटर अधिवक्ता श्री रोशनलाल उपस्थित। अपील नियमानुसार दर्ज रजिस्टर हो। उपस्थित उभय पक्ष के अधिवक्तागण की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।<br>उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन पश्चात शेष रेस्पोडेंट्स को सुने बिना तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किये बिना इस स्तर पर स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं समझते हैं। अतः रेस्पोडेंट के सम्मन जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर पत्रावली आईंदा दिनांक 05.03.2025 को पेश हो।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>जोधपुर | नो. 221<br>513<br>12/2/25<br>ता.मि.<br>5452<br>7/2/25 |
| 5/3/25 | [stamp] 22/4/25 [stamp] L.C. की पत्रा. संलग्न हो<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>जोधपुर | S.D.O. आउ की पत्रावली 24/24 प्राप्त संलग्न है।<br>5/3 |
| 21/3/25 | पत्रा. पेश। पत्रा. आज अधिवक्ता अपीलांट के प्रा. पत्र मिसल तलबी व पत्र अपील विड्रा में पेश हुई। बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट ने आग्रह किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से मिसल आज ही तलब की जाकर वापिस है अतः मिसल आज ही तलब की जाकर विड्रा अपील की जावे। रेस्पा. अधि. द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मिसल आज ही पेशी पर ली जाकर वापिस विड्रा अपील की जाती है। L.C. की पत्रा. मय निर्णय प्रति लौटाई जावे। पत्रा. फैसल शुमार होकर शामिल दफ्तर हो।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>जोधपुर | |